न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 125 / 2019

1 कल्याण सिंह
2 रतन सिंह
3 प्रहलाद सिंह
4 प्रताप सिंह
5 कायम सिंह पुत्रगण सलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 इचरज सिंह स्त्री मदन सिंह
7 अंगूरी देवी स्त्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मृतक भोमसिंह पुत्र भादर सिंह उर्फ बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। (दौराने वाद मृत्यु)
1/1 राजूसिंह पुत्र स्व. भोमसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। (दौराने अपील मृत्यु)
1/1/1 सैवर कंवर स्त्री स्व. राजूसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/1/2 ज्योति कंवर पुत्र स्व. राजू सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/2 किशोर सिंह पुत्र स्व. भोमसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृत्यु
1/2/1 नानड़बाई स्त्री
1/2/2 जितेन्द्र सिंह पुत्र
1/2/3 विकम सिंह पुत्र स्व. किशोर सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/3 मनोहर सिंह पुत्र स्व. भोमसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/4 मु. भंवरी बाई स्त्री भोमसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/5 मु. प्रेम बाई पुत्री स्व. भोमसिंह स्त्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी भुवाड़ी तहसील तारानगर जिला चुरू।
1/6 मु. गजराज बाई पुत्री स्व. भोमसिंह स्त्री गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी भुवाड़ी तहसील तारानगर जिला चुरू।
2 मु. पुष्पा पुत्री स्व. मदन सिंह स्त्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा तहसील तारानगर जिला चुरू।
3 विनोद पुत्री स्व. मदनसिंह स्त्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी मानपुरा तहसील तारानगर जिला चुरू।
4 जितेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 मु. सुदेश पुत्री मदनसिंह स्त्री टवर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी तहसील लाडनू जिला नागौर।
6 महेन्द्र सिंह पुत्र सलसिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6/1 मंजु कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह स्त्री गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सांवराद तहसील लाडनू जिला नागौर।
6/2 मंटू कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6/3 राजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 पप्पू सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 मनोज सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 मदन कंवर स्त्री अमर सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10 अर्चना स्त्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
11 कमला कंवर उर्फ संतरा स्त्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासीगण खुडानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 उप पंजीयक अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 आरटीएक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
24.12.2019 बदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
जिला झुन्झुनूं पीठासीन अधिकारी श्रीमती अभिलाषा
आरएएस मुकदमा उनवानी भोमसिंह बनाम कमला कंवर
नया मुकदमा नम्बर 36/2015 (पु. मु.नं. 317/2017)
दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)
3. श्री जुल्फीकार खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 136 रकबा 2.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 3.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 525 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 558 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510/527 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 711/555 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674/63 रकबा 0.09 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम खुडानिया तहत पुरानी तहसील चिड़ावा नई तहसील चिड़ावा नई तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बाबत भोमसिंह पुत्र स्व. भादर सिंह ने तत्कालीन विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने न्यायालय में उक्त आशय का दावा पेश किया उक्त भोमसिंह पुत्र भादरसिंह की दौराने वाद मृत्यु हो गई जिसके वारिस रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/1 लगायत 1/6 है। बाद में उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के न्यायालय की स्थापना होने के कारण उक्त वाद पत्र को क्षेत्राधिकार के कारण उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के न्यायालय में नियमित विचारण हेतु भेज दिया गया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 24.12.2019 को प्राथमिक रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावा व जवाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में कुल 9 तनकीयात कायम की गई। तनकी संख्या 1 व 2 खातेदारी घोषणा के बाबत बनाई गई। उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर था। तनकी संख्या 1 व 2 को निर्णित करने में विचारण न्यायालय ने जमीन के राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने जमाबन्दी संवत 2028–2031 प्रदर्श–9 के आगे के रिकार्ड को नहीं देखा। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय पारित करने में अपीलान्ट की शपथपूर्वक साक्ष्य को नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने तनकी संख्या 1 व 2 को दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी के हक में निर्णित करने में कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय पारित करने में जमाबन्दी संवत 2028 से आगे की जमाबन्दियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में करने में कानूनी गलती की है विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 गलत बनाई है। खातेदारी घोषणा के दावे में पूर्व नामान्तकरण को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय को नहीं है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में करने में कानूनी गलती की है। तनकी संख्या 6 विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की जवाबदेही के आधार पर बनी है .तनकी संख्या 6 का निर्णय अपीलान्टस के विरूद्ध करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है तनकी संख्या 6 का निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के जवाब दावा की मद संख्या 13 को नहीं पढ़ने में गलती की है। दावा संख्या 88 / 1979 दिनांक 28.04.1981 को दाखिल दफ्तर हुआ इस बाबत मदन सिंह व उसके वारिसान की सहमति रही है। इसलिए दस्तावेज पेश करने की कानूनन आवश्यकता नहीं होती। तनकी संख्या 7 को साबित करने का भार अपीलान्टस पर था विवादित जमीन में 1/2 जमीन पर विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपना कब्जा साबित नहीं किया। तनकी संख्या 7 का निर्णय अपीलान्टस के पक्ष में करना चाहिए था। तनकी संख्या 7 का निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरियों को नजर अंदाज किया है तनकी संख्या 8 व 9 का निर्णय भी अपीलान्टस के हक में करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में दोनों पक्षकारान के द्वारा पेश किये गये गवाहान की शपथपूर्वक साक्ष्य की स्पष्ट विवेचना नहीं की। कानून से शपथपूर्वक साक्ष्य का दावा के अंतिम निर्णय में महत्व होता है इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने विचाराधी निर्णय व डिक्री पारित करने का आधार दर्ज नहीं किया। प्रत्येक तनकी का निर्णय पारित करने में पक्षकारान की शपथपूर्वक साक्ष्य व दस्तावेजों की स्पष्ट विवेचना नहीं की। बहादुर सिंह के वारिसान को 1/2 जमीन के काश्तकार घोषित करने का निर्णय जैर बहस का आधार दर्ज नहीं किया। इस प्रकार निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में तनकी संख्या 1 में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 ने अपना हिस्सा वादी व उसके भाई अमर सिंह के हक में छोड़ दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के संदर्भ में कोई विवेचन एवं निर्णय किये बिना यह हक त्याग स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। किसी भी प्रकार के विनिमय, विक्रय एवं हक त्याग न्यायालय में पेश होने पर राजस्व हानि है या नहीं देखने का दायित्व पीठासीन अधिकारी का होता है। उसके अभाव में दस्तावेज साक्ष्य के लिए वैद्य नहीं माना जा सकता है। विवादित भूमि के संदर्भ में पूर्व में दावा संख्या 88/1979 जैरकार रहा है। जो दिनांक 28.04.1981 को दाखिल दफ्तर हुआ है। इस संदर्भ में मदनसिंह एवं उसके वारिसान की सहमति रहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इस बिन्दू पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना पारित किया हुआ होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर स्टाम्प ड्यूटी के संदर्भ में विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर